संदर्भ: आईआरडीएआई/एचआर/वाईपीपी/08/2022 दिनांक: 02.08.2022

युवा प्रोफेशनल कार्यक्रम (वाईपीपी)

आईआरडीएआई अर्हताप्राप्त और प्रेरित युवा व्यक्तियों को आईआरडीएआई के अंदर महत्वपूर्ण पहलों पर कार्य करने तथा भारतीय बीमा क्षेत्र के नीति विश्लेषण और विकास में सहायता करने का एक विशिष्ट अवसर देना चाहता है। यह उन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जो भारत में बीमा क्षेत्र के विकास में योगदान करना चाहते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उक्त व्यक्ति वित्त और निवेश, विधि, बीमांकन, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, ग्रामीण प्रबंध, तथा संचार के क्षेत्रों (डोमेन्स) में कार्य करेंगे। यह एक चयनात्मक कार्यक्रम है जिसके लिए व्यक्तियों को प्रमाणित शैक्षिक प्रत्यय-पत्र (क्रेडेन्शियल्स), व्यावसायिक उपलब्धि और नेतृत्व के गुण दर्शाने की आवश्यकता है।

2. पात्रता

2.1 इस कार्यक्रम के लिए विचार किये जाने के लिए, उम्मीदवार को आवश्यक रूप से नीचे निर्धारित किये गये रूप में पात्रता के मानदंड पूरे करने होंगे:

क. आयु और राष्ट्रीयता:

i. उम्मीदवार को अनिवार्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए तथा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. क्षेत्र-वार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और वांछनीय मानदंड:

क्षेत्र	पदों की संख्या	शैक्षिक अर्हता	वांछनीय मानदंड
युवा प्रोफेशनल (वित्त और निवेश)	4	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्था से वित्त में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर योग्यता (उपाधि / 2 वर्षीय डिप्लोमा); अथवा सनदी लेखाकार (सीए)[1] / कंपनी सचिव (सीएस)[2]/ लागत प्रबंध लेखाकार (सीएमए)[3]; अथवा सीएफए संस्थान (यूएसए) से सनदी वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) पाठ्यक्रम के सभी 3 (तीन) स्तर सफलतापूर्वक पूरे किये हैं।	स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सीए/सीएस/ सीएमए/ सीएफए पूरी करने के बाद वित्तीय क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

युवा प्रोफेशनल (विधि)	2	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्था से विधि में स्नातक उपाधि।	विधि/एलएलएम में स्नातक उपाधि पूरी करने के बाद बीमा क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
युवा प्रोफेशनल (बीमांकन)	4	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी वर्ग (स्ट्रीम) में स्नातक उपाधि, और भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई)[4] से कोर सांख्यिकी (सीएस), कोर माडलिंग (सीएम) और कोर व्यवसाय (सीबी) विषयों में उत्तीर्णता	आईएआई के विशेषज्ञ सिद्धांतों (एसपी) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों; अथवा बीमांकन विज्ञान के क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
युवा प्रोफेशनल (प्रौद्योगिकी)	4	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय / संस्था से निम्नलिखित कोई उपाधिः (i)इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स और संचार/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर विज्ञान/ साफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक; अथवा (ii) एमसीए/ एमएससी (आईटी)/ एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान)/ एमबीए (प्रणालियाँ)/ एमबीए (विश्लेषण-विज्ञान)/ एम. टेक (कंप्यूटर विज्ञान/ आईटी/ सुसंगत स्ट्रीम) / एमएस (कंप्यूटर विज्ञान/ आईटी/ सुसंगत स्ट्रीम) अथवा समकक्ष उपाधि।	साफ्टवेयर विकास (प्रोग्रामिंग) अथवा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त अथवा ब्लाकचेन, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धि (एआई), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीनी शिक्षा, भविष्यसूचक विश्लेषण में प्रवीण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। साफ्टवेयर विकास के लिए, वांछनीय कौशल सेट में शामिल हैं : जावाः स्प्रिंग/हाइबरनेट जैसे नवीनतम ढाँचे के साथ जेएसपी/जे2ईई के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा ऐंगुलरः ऐंगुलर के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता- प्राप्त; अथवा एसएपी-एबीएपीः एसएपी एबीएपी/ वेब डिनप्रो के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा

			पाइथानः पाइथान के प्रोग्रामिंग में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा बीपीएमः आईबीएम बीपीएम विकास में प्रवीणता-प्राप्त; अथवा डेटाबेसः डीबी2/ओरेकल/ पोस्टग्रेएसक्यूएल/माईएस क्यूएल आदि जैसे डेटाबेस में प्रवीणता-प्राप्त। साइबर सुरक्षा के लिए वांछनीय कौशल सेट में शामिल हैं : -सूचना और साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षा परिचालनों के क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का ज्ञान -साइबर आक्रमण होने की स्थिति में सुधारात्मक उपाय करना/ विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। -साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना। -निम्नलिखित सुरक्षा उत्पादों में से किसी का संस्थापन / परिचालनः i.डेटा सुरक्षा [डेटा निःसरण निवारण (डीएलपी)/ डेटाबेस सक्रियता निगरानी (डीएएम) आदि।] अथवा ii. नेटवर्क सुरक्षा [फायरवाल/ अनधिकार प्रवेश निवारण (आईपीएस)/ प्राक्सी/ वितरित सेवा का अस्वीकरण (डीडीओएस) आदि.]; अथवा iii. प्रणाली सुरक्षा [विशेष सुविधा प्राप्त पहचान

			प्रबंधन (पीआईएम)/ एंटीवायरस / उन्नत निरंतर आशंका निरोधी (एपीटी) आदि]
युवा प्रोफेशनल (अनुसंधान)	4	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ, किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्था से अर्थशास्त्र/ वित्तीय अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र/ व्यावहारिक सांख्यिकी/ अर्थमिति/ परिचालन अनुसंधान अथवा समकक्ष स्ट्रीम में स्नातकोत्तर अर्हता (उपाधि/ 2-वर्षीय डिप्लोमा)।	वित्तीय बाजारों, समष्टि आर्थिक सिद्धांत, कंपनी अभिशासन, तथा देशी/अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के संबंधित क्षेत्रों सहित, परंतु इन्हीं तक असीमित क्षेत्रों में अनुसंधान से युक्त/कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इसका समर्थन प्रकाशित कार्य/आधार-पत्रों (वर्किंग पेपर्स)/ अंतरराष्ट्रीय अथवा देशी अनुसंधान सम्मेलनों में प्रस्तुत आलेखों द्वारा हो सकता है।
युवा प्रोफेशनल (ग्रामीण प्रबंध)	4	न्यूनतम 55% समग्र अंकों के अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ, किसी मान्यताप्राप्त और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय/संस्था से ग्रामीण प्रबंध/ ग्रामीण विकास/ ग्रामीण प्रौद्योगिकी और प्रबंध/ धारणीय ग्रामीण विकास/ ग्रामीण वित्त/ ग्रामीण विपणन में स्नातकोत्तर अर्हता (उपाधि/ 2-वर्षीय डिप्लोमा)।	ग्रामीण प्रबंध/ विकास के क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
युवा प्रोफेशनल (संचार)	2	न्यूनतम 55% समग्र अंकों अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ, पत्रकारिता और जन-संचार/जन-संपर्क/मीडिया प्रबंध में स्नातकोत्तर अर्हता (उपाधि / 2-वर्षीय डिप्लोमा)।	किसी मीडिया उद्योग/ सरकारी संस्था में मीडिया अथवा जन-संपर्क अथवा सूचना-पत्रों (न्यूज़लेटरों), बुलेटिनों के प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के संचालन के क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

1- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य
2- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य
3- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य
4- भारतीय बीमांकक संस्थान का सदस्य

ग. सभी उम्मीदवारों से प्रत्याशित है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साधनों तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशल में निपुण हों एवं अच्छे विश्लेषणात्मक, संचार और अंतर-वैयक्तिक कौशल से युक्त हों।

3. कार्यक्रम की अवधि

3.1 युवा व्यवसायियों (वाईपी) की नियुक्ति की अवधि 1 (एक) वर्ष होगी, जो वाईपी के कार्यनिष्पादन और संस्थागत आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक 1 (एक) वर्ष के 2 दौरों के जरिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। वाईपी की नियुक्ति की कुल अवधि 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3.2 उक्त कार्यक्रम आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय में अथवा आईआरडीएआई के किसी अन्य कार्यालय में दिया जाएगा।

4. आवेदन की प्रक्रिया और चयन की पद्धति

4.1 इच्छुक पात्र उम्मीदवार एक आनलाइन आवेदन निम्नलिखित लिंक के द्वारा प्रस्तुत करेंगे:

https://ypp.irdai.gov.in/ypp

4.2 उम्मीदवार ध्यान दें कि आईआरडीएआई वाईपीपी के लिए आवेदन करने हेतु यही एक पद्धति अनुमत है तथा किसी भी अन्य माध्यम/पद्धति के द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 23.08.2022 को अपराह्न 5.00 बजे अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.4 एक अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति आवेदनों की संवीक्षा करेगी तथा वैयक्तिक साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए आवेदकों की चयनित सूची बनायेगी। चयनित सूची में सम्मिलित किये गये आवेदक वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए बुलाये जाएँगे तथा अनुवीक्षण समिति चयनित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी।

4.5 साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में और उनकी स्वयं-साक्ष्यांकित फोटोप्रतियाँ अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी एवं इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे उसकी सहभागिता से उसकी उम्मीदवारी को रोक दिया जाएगा।

4.6 उनकी उम्मीदवारी के संबंध में आवेदन में घोषित सूचना तथा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों के बल पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आन-लाइन आवेदन में प्रस्तुत कोई सूचना झूठी / गलत है अथवा आईआरडीएआई के अनुसार उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती, तो उसकी उम्मीदारी / नियुक्ति निरस्त / समाप्त की जा सकेगी।

4.7 उक्त कार्यक्रम के लिए जो उम्मीदवार चुने जाते हैं, केवल उन्हीं को सूचित किया जाएगा।

4.8 अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रदत्त सुविधाएँ

5.1 वाईपी को रु.75,000/- (सब मिलाकर) का एक मासिक वृत्ति (स्टाइपेंड) अदा किया जाएगा। उक्त भुगतान करने से पहले आय कर अथवा देय किसी अन्य कर की कटौती लागू नियमों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी। चयनित बाहरी उम्मीदवारों को उनके निवास के स्थान से परियोजना प्रारंभ करने के स्थान तक आने-जाने के लिए निकटतम मार्ग के द्वारा किफायती (इकानमी) हवाई भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इनके अतिरिक्त, कोई अन्य पारिश्रमिक अथवा भुगतान नहीं होगा।

5.2 आईआरडीएआई वाईपी को कार्यालय स्थान, इंटरनेट संबद्धता और अन्य सहायक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

5.3 वाईपी का यह दायित्व होगा कि आवास के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था कर ले।

5.4 वाईपी को यदि कार्यालयीन आवश्यकताओं से अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन घरेलू यात्रा करनी होगी, जिस स्थिति में वे ठहरने, भोजन-व्यवस्था और प्रासंगिक व्ययों के लिए सहायक प्रबंधक के ग्रेड में अधिकारियों के लिए अनुमति-योग्य सीमा तक पात्र होंगे।

5.5 वाईपी की नियुक्ति की अवधि के दौरान उसकी मृत्यु, क्षति अथवा अस्वस्थता होने की स्थिति में, चाहे उक्त नियुक्ति के अंतर्गत उसके दायित्वों के निर्वहण के कारण हो, चाहे प्राधिकरण के किसी परिसर में अथवा आधिकारिक यात्रा के दौरान हो, न तो वाईपी और न ही उसके आश्रित, विधिक उत्तराधिकारी, दावेदार, आदि आईआरडीएआई में किसी क्षतिपूर्ति अथवा रोजगार के लिए पात्र होंगे।

6. परियोजना प्रदेय और समीक्षा

6.1 प्रदेयों (डेलिवरबल्स) का निर्णय कार्यक्रम देने के समय ही किया जाएगा।

6.2 आबंटित विभाग/टीम के पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जाएगी, जो परियोजना के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

6.3 वाईपी के कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन होगा जो विभाग-प्रमुख (एचओडी) के द्वारा किया जाएगा।

6.4 वाईपी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन विभाग के प्रमुख (एचओडी) और परियोजना मार्गदर्शक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक महीने के अंत में किया जाएगा। वाईपी से प्रत्याशित होगा कि वह ऐसे मूल्यांकन के दौरान दिये गये सुझावों को अपने कार्यचालन में शामिल करे।

6.5 परियोजना समाप्त होने पर, वाईपी द्वारा परियोजना पर एक प्रस्तुतीकरण किया जाएगा तथा एक रिपोर्ट संबंधित विभाग-प्रमुखों (एचओडी) और एचआर विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। वाईपी को उनकी नियुक्ति के समापन पर उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरडीएआई में उनकी नियुक्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने का उल्लेख करते हुए एक पत्र दिया जाएगा।

7. आचरण संहिता

7.1 वाईपी नियुक्ति के प्रारंभ से पहले आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की जानेवाली आचरण-संहिता से आबद्ध होंगे।

7.2 वाईपी से अपेक्षित है कि वे कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले निर्धारित फार्मेट में गुप्तता की एक घोषणा आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेंगे।

7.3 आंतरिक डेटा जो वाईपी की नियुक्ति के दौरान उनके कब्जे में आ सकता है, गोपनीय है तथा वाईपी किसी भी प्रकार से उक्त आंतरिक डेटा का निजी तौर पर उपयोग नहीं करेंगे अथवा वह डेटा आईआरडीएआई के परिसर से बाहर नहीं ले जाएँगे।

7.4 वाईपी के लेनदेनों से संबंधित विवरणों अथवा धारित राशियों के विवरणों सहित, वाईपी की वित्तीय आस्तियों के संबंध में सूचना, जैसी कि उचित मानी जाएगी, माँगने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है।

7.5 आईआरडीएआई उस समस्त बौद्धिक संपत्ति और अन्य स्वामित्व अधिकारों के लिए हकदार होगा, जिनमें शामिल हैं परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उत्पादों, प्रक्रियाओं, आविष्कारों, विचारों, तकनीकी जानकारी अथवा प्रलेखों और अन्य सामग्री के संबंध में पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट), ट्रेडमार्क, जो वाईपी अपनी नियुक्ति के भाग के रूप में विकसित करते हैं।

7.6 वाईपी आईआरडीएआई के नाम, पत्र-शीर्ष, प्रतीक अथवा कार्यालयीन मुहर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे।

7.7 वाईपी आईआरडीएआई के पास अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई भी अन्य कार्य अथवा नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे।

7.8 वाईपी कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन होंगे।

7.9 वाईपी के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन करवाने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है। ऐसे सत्यापन से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने की स्थिति में वाईपी की नियुक्ति किसी नोटिस के बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

8. कार्यसमय और छुट्टी

8.1 वाईपी का कार्यसमय आईआरडीएआई में प्रचलित कार्यालय समय के समान ही होगा। प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय में लागू किये गये रूप में सार्वजनिक छुट्टियों का पालन करने की अनुमति वाईपी को होगी। वाईपी से कार्यालय समय के बाद अथवा सप्ताहांत अथवा सार्वजनिक छुट्टियों में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है, जिसके लिए किसी अतिरिक्त स्टाइपेंड की अनुमति नहीं होगी।

8.2 वाईपी एक वर्ष में 12 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। ये छुट्टियाँ पूरे किये गये महीने के आधार पर उपचित होंगी जिनका परिकलन आनुपातिक आधार पर कार्यग्रहण करने की तारीख से किया जाएगा। छुट्टी की किसी अवधि के दौरान बीच में आनेवाले सप्ताहांतों अथवा सार्वजनिक छुट्टियों की गणना उक्त 12 दिन की छुट्टी से नहीं की जाएगी। वाईपी के द्वारा उपयोग की गई अतिरिक्त छुट्टियों के लिए स्टाइपेंड में से कटौती की जाएगी। उपयोग न की गई छुट्टियाँ वर्ष के अंत में व्यपगत (लैप्स) हो जाएँगी।

9. आशोधन, निलंबन अथवा सेवासमाप्ति का अधिकार

9.1 सामान्य क्रम में, आईआरडीएआई एवं वाईपी अग्रिम रूप से एक महीने की नोटिस देकर उक्त नियुक्ति को समाप्त कर सकते हैं।

9.2 किसी विधिमान्य स्पष्टीकरण के बिना लगातार 8 दिन की अवधि (सप्ताहांतों अथवा सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति से उक्त नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

h

10. अन्य शर्तें

10.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआरडीएआई द्वारा नियुक्त वाईपी के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वाईपी आईआरडीएआई का अधिकारी अथवा कर्मचारी है। तदनुसार, इस नियुक्ति में निहित कोई भी बात आईआरडीएआई और वाईपी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का अथवा स्वामी और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं करेगी।

10.2 वाईपीपी के अंतर्गत उनकी नियुक्ति के आधार पर आईआरडीएआई में नियोजन के लिए वाईपी का कोई अधिकार नहीं होगा।

10.3 वाईपी उक्त नियुक्ति के अंतर्गत दायित्वों के अपने कार्यनिष्पादन के संबंध में आईआरडीएआई से बाहर किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से किन्हीं अनुदेशों की अपेक्षा नहीं करेंगे अथवा कोई भी अनुदेश स्वीकार नहीं करेंगे।

10.4 वाईपी सभी वर्तमान अथवा संभावित हितों के संघर्षों से बचेंगे तथा जब ऐसा कोई संघर्ष अपरिहार्य हो तब प्रारंभ में ही उसका प्रकटीकरण करेंगे।

10.5 आईआरडीएआई के विभिन्न विभागों की भूमिका और कार्य-पद्धति से परिचय प्राप्त करने के लिए वाईपी को अभिमुखता (ओरिएन्टेशन) कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा।

10.6 पात्रता, आवेदनों की छानबीन (स्क्रीनिंग), साक्षात्कार के संचालन, उम्मीदवारों के मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या तथा परिणाम की सूचना के संबंध में सभी मामलों में आईआरडीएआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। आईआरडीएआई के पास इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कारण बताये बिना किसी भी पात्र उम्मीदवार का चयन करने अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आईआरडीएआई के पास किसी भी कारण से विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

10.7 यहाँ समाविष्ट नहीं किये गये किसी भी अवशिष्ट विषय की शर्तों के संबंध में अध्यक्ष, आईआरडीएआई द्वारा निर्णय किया जाएगा।

जगन्नाथम

(पी. एस. जगन्नाथम)

मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन)

Ref: IRDAI/HR/YPP/08/2022

02.08.2022

Young Professional Program (YPP)

IRDAI intends to provide an exceptional opportunity to qualified and motivated young individuals to work on important initiatives within IRDAI and assist in the policy analysis and development of the Indian Insurance Sector. It best suits individuals who wish to contribute to the development of insurance sector in India.

Under this program, the individuals will work in the domains of Finance & Investment, Law, Actuarial, Technology, Research, Rural Management, and Communication. This is a selective program which requires individuals to demonstrate proven academic credentials, professional achievement and leadership qualities.

2. Eligibility

2.1. In order to be considered for this program, the candidate must satisfy the eligibility criteria as prescribed below:

A. Age & Nationality:

i. The candidate must be an Indian Citizen of age not more than 30 years as on the last date of receipt of applications.

परिश्रम भवन, तीसरा तल, बशीरबाग, हैदराबाद - 500 004. भारत
: +91-40-2338 1100/300, फैक्स : +91-40-6682 3334
वेबसाइट : www.irdai.gov.in

Parisharam Bhavan, 3rd Floor, Basheer Bagh, Hyderabad - 500 004. India.
: +91-40-2338 1100/300, Fax : +91-40-6682 3334
Website : www.irdai.gov.in

B. Domain-wise essential educational qualification and desirable criteria:

Domain	No. of positions	Educational Qualification	Desirable criteria
Young Professional (Finance & Investment)	4	Post Graduate qualification (degree / 2-year diploma) with specialization in Finance from a recognized and reputed university/ institution, with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA; OR Chartered Accountant (CA)[1] / Company Secretary (CS)[2] / Cost Management Accountant (CMA)[3]; OR Successfully completed all 3 (three) levels of Chartered Financial Analyst (CFA) course from CFA Institute (USA).	Preference to be given to candidates with work experience in financial sector after completion of Post-Graduation or CA/CS/CMA/CFA.
Young Professional (Law)	2	Bachelors' Degree in Law from a recognized and reputed university/ institution, with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA.	Preference to be given to candidates with work experience in the insurance sector after completion of the Bachelors' Degree in Law/ LLM.

Young Professional (Actuarial)	4	Bachelors' Degree in any stream from a recognized and reputed university/ institution with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA, AND Passed in Core Statistics (CS), Core Modelling (CM) and Core Business (CB) subjects from the Institute of Actuaries of India (IAI)[4]	Preference to be given to candidates who have passed in Specialist Principles (SP) series of IAI; OR Candidates with work experience in the field of Actuarial Science.
Young Professional (Technology)	4	Anyone of the following degrees from a recognized and reputed university/ institution with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA: (i) B.E. / B. Tech in Electronics / Electronics and Communication / Information Technology / Computer Science/ Software Engineering; or (ii) MCA / MSc (IT) / MSc. (Computer Science) / MBA (Systems) / MBA (Analytics) / M. Tech (Computer Science/ IT/ Relevant Stream) / MS (Computer Science/ IT/ Relevant Stream) or equivalent degree.	Preference to be given to candidates with work experience in the field of software development (programming) or cyber security or well versed with Blockchain, Big data, Artificial Intelligence, Natural Language processing, Machine Learning, Predictive Analytics. For Software Development, desirable skill set includes: JAVA: Proficient in programming of JSP/J2EE with latest framework like Spring/ Hibernate; OR Angular: Proficient in programming of Angular; OR SAP-ABAP: Proficient in programming of SAP-ABAP/ Web Dynpro; OR Python: Proficient in programming of Python; OR

			BPM: Proficient in IBM BPM development; OR Database: Proficient in Database like DB2/ORACLE/PostgreSQL/ MySQL etc. For cyber security, desirable skill set includes: - Knowledge of global best practices in the areas of information & cyber security and security operations - Taking corrective measures / prudent response in case of cyberattacks. - Development, implementation and ensuring compliance with cyber security and information security policies and procedures - Installation / operation of any of the following security products: i. Data Security [Data Leakage Prevention (DLP)/ Database Activity Monitoring (DAM) etc.]; OR ii. Network Security [Firewall/ Intrusion Prevention System (IPS)/ Proxy/ Distributed Denial-of-Service (DDoS) etc.]; OR

			iii. System Security [Privileged Identity Management (PIM)/ Antivirus/ Anti- Advanced Persistent Threat (APT) etc.]
Young Professional (Research)	4	Post Graduate qualification (degree / 2-year diploma) in Economics / Financial Economics / Business Economics / Applied Statistics / Econometrics/ Operation Research or equivalent stream from a recognized and reputed university/ institution, with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA.	Preference to be given to candidates with research/work experience in areas including but not limited to financial markets, macroeconomic theory, corporate governance, financial institutions and related areas of domestic/international economics. This may be supported by published work/ working papers/ submission of papers in international or domestic research conferences.
Young Professional (Rural Management)	4	Post Graduate qualification (degree / 2-year diploma) in Rural Management/ Rural Development/ Rural Technology and Management/ Sustainable Rural Development/ Rural Finance/ Rural Marketing from a recognized and reputed university/ institution, with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA.	Preference to be given to candidates with work experience in the field of rural management/ development.

Young Professional (Communica-tion)	2	Post Graduate qualification (degree / 2-year diploma) in Journalism and Mass Communication/ Public Relations/ Media Management with minimum 55% aggregate marks or equivalent CGPA.	Preference to be given to candidates with work experience in the field of media or public relations or publication of newsletters, bulletins, handling print and electronic media in a Media Industry/ Government Institution.

1- A member of Institute of Chartered Accountants of India

2- A member of Institute of Company Secretaries of India

3- A member of Institute of Cost Accountants of India

4- A member of Institute of Actuaries of India

C. All the candidates are expected to be adept in Information Technology (IT) tools and Information and Communication Technology (ICT) skills and possess good analytical, communication and interpersonal skills.

3. Duration of program

3.1. The duration of engagement of Young Professional (YP) shall be 1 (one) year, which may be further extended by the Competent Authority by 2 stretches of 1 (one) year each, depending on the performance of YPs and organizational requirements. The total duration of engagement of a YP shall not exceed 3 (three) years.

3.2. The program will be offered at Head Office or any other office of IRDAI.

4. Application Process & Mode of Selection

4.1. The interested eligible candidates shall submit an online application through the link https://ypp.irdai.gov.in/ypp

4.2. Candidates may note that this is the only permitted mode to apply for IRDAI YPP and application submitted by any other means/mode will not be accepted.

4.3. The last date for submission of application is on or before 5:00 PM on 23.08.2022.

4.4. There will be a Screening Committee which will scrutinize the applications and shortlist the applicants for a personal interview. The shortlisted applicants will be called for the personal interview and the Screening Committee will recommend the names of the selected candidates.

4.5. The requisite documents, in original and self-attested photocopies, in support of the candidate's eligibility and identity are to be invariably produced at the time of interview for verification, failing which the candidate may not be permitted to appear for interview and which will debar his/her candidature from further participation in the engagement process.

4.6. Their candidature will be considered on the strength of the information declared in the application and supporting documents submitted at the time of interview. If at any stage, it is found that any information furnished in the on-line application is false / incorrect or if according to IRDAI, the candidate does not satisfy the eligibility criteria, his / her candidature / engagement is liable to be cancelled / terminated.

4.7. Only the candidates who are selected for the program will be intimated.

4.8. The decision of the Screening Committee shall be final and binding and no queries shall be entertained in this regard.

5. Facilities provided

5.1. YPs shall be paid a monthly stipend of ₹75,000/- (all inclusive). Income tax or any other tax liable to be deducted as per the applicable rules will be deducted at source

before effecting the payment. Selected outstation candidates will be reimbursed to and fro economy airfare by the shortest route from the place of their residence to place of undertaking the project. Apart from these, there will be no other remuneration or payment.

5.2. IRDAI will provide office space, internet connectivity and other support facilities to YP.

5.3. It shall be the responsibility of YP to make his/her own arrangements for accommodation.

5.4. The YPs, if required for official reasons, may have to undertake domestic travel, subject to the approval of Competent Authority, in which case they will be eligible for halting, boarding and incidental allowances to the same extent as permissible to the officers in the grade of Assistant Manager.

5.5. In the event of death, injury or illness of the YP during the term of his/her engagement, whether or not attributable to discharge of his/her responsibilities under the engagement, either at any of premises of the Authority or during official travel, neither the YP nor his/her dependents, legal heirs, claimants, etc. shall be entitled to any compensation or employment in IRDAI.

6. Project Deliverables and Review

6.1. The deliverables shall be decided at the time of offering the program itself.

6.2. There shall be continuous monitoring of the project by the supervising officer of the Department/Team allocated who will act as Project Guide.

6.3. There shall be continuous performance assessment of YPs which will be undertaken by Head of Department (HOD).

6.4. YP's performance shall be assessed jointly by the HOD of the Department and the project Guide at the end of every month. YP shall be expected to incorporate the suggestions made during such assessment in his/her working.

6.4. On completion of the Project, YP shall make a presentation on the Project and submit a report to respective HODs and HR Department. YPs shall be given a letter signifying the successful completion of their engagement with IRDAI under the program upon conclusion of their engagement.

7. Code of Conduct

7.1. YPs shall be bound by the Code of Conduct as may be prescribed by IRDAI before commencement of the engagement.

7.2. YPs are required to furnish to IRDAI a declaration of secrecy in the prescribed format before commencement of the program.

7.3. The internal data which may come in possession of YPs during the course of their engagement is confidential and YPs shall be refrained from making any personal use of the internal data or taking that data outside of the premises of IRDAI.

7.4. IRDAI reserves the right to seek information regarding financial assets of YPs including transaction statements or holding statements, as deemed expedient.

7.5. IRDAI shall be entitled to all intellectual property and other proprietary rights, including but not limited to patents, copyrights, trademarks, with regard to products,

processes, inventions, ideas, know-how or documents and other materials which the YPs develop as part of their engagement.

7.6. YPs shall not use the name, letter head, emblem or official seal of IRDAI without the prior written permission of Competent Authority.

7.7. YPs shall not take up any other assignment or engagement during their engagement with IRDAI.

7.8. YPs shall be subject to the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

7.9. IRDAI reserves the right to get police verification done for the YPs. In case of any adverse comment from such verification, the engagement of YP shall cease to exist with immediate effect without any notice.

8. Working Hours and Leave

8.1. The working hours of YPs shall be same as office timings in IRDAI. YPs shall be allowed to observe the public holidays as practiced at the Head Office of the Authority. The YPs may be required to work beyond office hours or on weekend or public holidays, for which no extra stipend shall be allowed.

8.2. The YPs shall be entitled to 12 days of leave in a year. The leaves shall accrue on completed month basis calculated from date of joining on pro-rata basis. The intervening weekends or public holidays during a spell of leave shall not be counted against the 12 days leave. Additional leaves availed by the YPs shall lead to deduction in stipend. Unutilized leaves shall lapse at the end of the year.

9. Right of Modification, Suspension or Termination

9.1. In normal course, IRDAI as well as the YP may terminate the engagement by giving one month notice in advance.

9.2. Unauthorized absence for a continuous period of 8 days (not including weekends or public holidays) without any valid explanation for the same, shall automatically lead to termination of the engagement.

9.3. Notwithstanding the above, IRDAI retains the right to modify the terms of program, suspend or terminate the engagement with any YP or discontinue the program at any time, without assigning any reason thereof.

10. Other conditions

10.1. YPs engaged by IRDAI under this program shall not be considered, for any purpose, as officer or employee of IRDAI. Accordingly, nothing in this engagement shall establish the relationship of employer and employee or that of principal and agent between IRDAI and the YP.

10.2. YPs shall have no right / claim for placement in IRDAI by virtue of their engagement under YPP.

10.3. YPs shall neither seek nor accept instructions from any person or authority outside IRDAI in connection with their performance of obligations under the engagement.

10.4. YPs shall avoid all present and potential conflicts of interest and disclose upfront, when such conflict is unavoidable.

10.5. YPs shall be provided orientation program for acquiring familiarity with the role and functioning of different departments of IRDAI.

10.6. In all matters regarding eligibility, application screening, conduct of interviews, assessment of candidates, number of vacancies and communication of result, IRDAI's decision shall be final and binding on the candidates and no correspondence shall be entertained in this regard. IRDAI retains the right to select or reject any eligible candidate under this program without assigning any reason thereof. IRDAI also reserves the right to cancel the advertisement, fully or partly, on any grounds.

10.7. The terms and conditions of any residuary matter that is not covered here shall be decided by the Chairman, IRDAI.

(P.S. Jagannatham)
CGM (General Admn & HR)